भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4274
बुधवार, दिनांक 26 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>रूफटॉप सोलर प्रणाली की स्थापना</u>

4274. श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री रूफटॉप सोलर योजना की प्रगति की समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद योजना को पुरजोर तरीके से क्रियान्वित नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (ग): नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा फरवरी, 2024 से देश भर में पीएम सूर्य घरः मुफ़्त बिजली योजना (पीएमएसजीः एमबीवाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

योजना की प्रगति की विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है, जिसमें राज्यों/डिस्कॉम के साथ उच्चतम स्तर पर अर्थात् राज्य मंत्रियों और सचिवों के साथ बैठकें भी शामिल हैं। मंत्रालय प्रगति की समीक्षा के लिए क्षेत्रीय बैठकें और राज्य स्तर की बैठकें भी आयोजित कर रहा है। क्षेत्रीय बैठकें पहले ही कोलकाता, मुंबई और जयपुर में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री स्तर पर आयोजित की जा चुकी हैं। राज्य स्तर की अंतिम बैठक दिनांक 03 मार्च, 2025 को गोवा में राज्य मंत्री स्तर पर आयोजित की गई थी। इसके अलावा, मंत्रालय में वेंडरों के साथ तथा सभी राज्यों में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) द्वारा मासिक बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

इसके कारण योजना का कार्यान्वयन तेजी से हुआ है, जिसके फलस्वरूप दिनांक 19.03.2025 तक, अर्थात् एक वर्ष की अवधि में 10.42 लाख परिवारों को इस योजना से लाभ हुआ है, जबकि इसकी तुलना में पीएमएसजीः एमबीवाई की शुरुआत होने के पूर्व के अंतिम 10 वर्षों के दौरान मंत्रालय की पिछली योजनाओं के अंतर्गत आवासीय क्षेत्र में मात्र 7.94 लाख रूफटॉप सौर स्थापित किए गए।

इस प्रगति में और तेज़ी लाने तथा पीएमएसजी: एमबीवाई के तहत वर्ष 2026-27 तक एक करोड़ घरों के लिए रूफटॉप सौर स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- उपभोक्ता अनुकूल राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से आवासीय उपभोक्ता के बैंक खाते में सब्सिडी के सीधे वितरण तक की ऑनलाइन प्रक्रिया।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों से रेपो रेट प्लस 50 बीपीएस अर्थात् वर्तमान में 6.75 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 10 वर्ष की अवधि के लिए संपार्श्विक (कोलेट्रल फ्री) ऋण की उपलब्धता।
- तकनीकी व्यवहार्यता आवश्यकता को माफ करके और 10 किलोवाट तक ऑटो लोड वृद्धि की शुरुआत करके विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया।
- वेंडरों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि पर्याप्त और योग्य वेंडर उपलब्ध हो सकें। दिनांक 11.03.2025 की स्थिति के अनुसार, 13301 वेंडर पंजीकृत हैं।
- कुशल मैनपावर तैयार करने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिनांक 20.03.2025 तक 62,954 प्रशिक्षित किए गए।
- योजना के बारे में जागरुकता पैदा करना, जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन छपवाना, टीवी विज्ञापन अभियानों, क्षेत्रीय चैनलों सहित एफएम स्टेशनों पर रेडियो अभियानों के माध्यम से देश में जागरुकता और आउटरीच कार्यक्रम।
- शिकायतों के समयबद्ध तरीके से समाधान के लिए शिकायत समाधान तंत्र स्थापित किया गया है। टेलीफोन नंबर 15555 वाला कॉल सेंटर 12 भाषाओं में कार्यरत है।

*****